



## भारत की व्यापारिक साझेदारियों ने वैश्विक एकीकरण और विकास को मजबूती प्रदान की

27 फरवरी, 2026

### मुख्य बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) रिपोर्ट 2025 के मुताबिक व्यापार साझेदारी विविधता में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है
- जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ के बीच "सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता" संपन्न हुआ।
- वित्त वर्ष 2025-26 में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते संपन्न किए।
- भारत ने फरवरी 2026 में इज़राइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते का पहला चरण संपन्न किया और जीसीसी के साथ औपचारिक रूप से व्यापार वार्ता शुरू की
- भारत आसियान, मैक्सिको और कनाडा के साथ अपने व्यापार वार्ता एजेंडे का विस्तार कर रहा है।

### परिचय

विकसित भारत की महत्वाकांक्षा और यात्रा के अनुरूप, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्सेदारी में बड़ा उछाल आने वाला है। पिछले दशकों में, भारत ने मजबूत निर्यात प्रदर्शन, लचीले सेवा व्यापार और व्यापार साझेदारों के विस्तारित नेटवर्क के समर्थन से वैश्विक बाजारों के साथ अपनी एकीकरण को काफी गहरा किया है, जो बदलते वैश्विक मांग गतिशीलता के अनुकूलन और बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

देश ने न केवल वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है बल्कि अपने व्यापारिक साझेदारों को विविधीकृत भी किया है। यूएनसीटीएडी की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार, व्यापार साझेदारों की विविधता सूचकांक के मामले में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्तर के सभी देशों से अधिक सूचकांक स्कोर के साथ, भारत का व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र

शुल्क अनिश्चितताओं और उभरती वैश्विक चुनौतियों के सामने लचीलापन दर्शाता है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का विस्तार भारत की व्यापार रणनीति को मजबूत करता है, जो विश्वसनीय बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है। ये समझौते निर्यात-उन्मुख फर्मों को उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत होने में सहायता प्रदान करके देश की मजबूत वैश्विक व्यापार उपस्थिति की दिशा को मजबूत करते हैं।



## वर्ष 2026 में भारत की व्यापार साझेदारी ने एक नए दौर में प्रवेश किया

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारत की व्यापार रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं, जो बेहतर बाजार पहुंच, सेवाओं में अधिक व्यापार, गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से व्यापार और निवेश का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। व्यापार पूरकताओं का लाभ उठाकर, ये समझौते निर्यात क्षमता को बढ़ाते हैं, उद्योग और किसानों के लिए नई संभावनाएं पैदा करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन करते हैं।

### भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

"सभी सौदों की मांग" के रूप में प्रशंसित, जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ताओं का समापन भारत की सबसे रणनीतिक आर्थिक साझेदारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आधुनिक, नियम-आधारित व्यापार ढांचे के रूप में संरचित यह समझौता समकालीन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करते हुए दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरी बाजार एकीकरण को सक्षम बनाता है।

बढ़ी बाजार पहुंच: समझौता यूरोपीय संघ के 97% शुल्क रेखाओं पर प्राथमिकता प्राप्त पहुंच प्रदान करता है, जो 99.5% व्यापार मूल्य को कवर करता है, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए नीति लचीलापन बनाते हुए भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

तत्काल शुल्क उन्मूलन: 70.4% शुल्क रेखाओं पर, जो भारत के निर्यात के 90.7% के लिए जिम्मेदार हैं, तत्काल शुल्क उन्मूलन होगा, जो वस्त्र, चमड़ा और जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण तथा चयनित समुद्री उत्पाद जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा।

चरणबद्ध शुल्क उन्मूलन और प्राथमिकता प्राप्त पहुंच: तीन से पांच वर्षों में शून्य शुल्क 20.3% शुल्क रेखाओं पर लागू होगा जो निर्यात के 2.9% को कवर करता है, जबकि 6.1% शुल्क रेखाओं पर जो निर्यात के 6% को कवर करती हैं, इससे प्रोसेस्ड फूड, संरक्षित सब्जियां, बेकरी आइटम, कारें, स्टील तथा कुछ झींगा और छिलके वाले झींगे उत्पादों के लिए शुल्क कमी या शुल्क-दर कोटा के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त पहुंच मिलेगी।

श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावा: वस्त्र और परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और जूते, रसायन, प्लास्टिक और रबर, खेल सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण जैसे श्रम-गहन उद्योग, जिनके निर्यात 2.87 लाख करोड़ रुपये (33 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करेंगे, यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में गहरा एकीकरण होगा तथा शुल्क शून्य होने पर रोजगार सृजन होगा।



सेवाओं में बाजार पहुंच: यूरोपीय संघ ने आईटी/आईटीईएस, पेशेवर, शिक्षा और व्यावसायिक सेवाओं सहित 144 उपक्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धताएं दर्शाई हैं, जिनसे भारतीय सेवा प्रदाताओं को अपने निर्यात विस्तार करने और नवाचार तथा उत्पादकता और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए एक स्थिर वातावरण प्राप्त होगा।

#### जो जरूरी है भारत उनको संरक्षण प्रदान करता है

इन व्यापार समझौतों के तहत सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड उदारीकरण को अपनाया गया है और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, अत्यधिक संवेदनशील कृषि उत्पादों सहित डेयरी, मांस, मुर्गी और अनाज को इन समझौतों से पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।

## व्यापार सहयोग को अन्य प्रमुख साझेदारियों के साथ आगे बढ़ाना

वित्त वर्ष 2025-26 में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए समाप्त करके अपनी व्यापार संलग्नता को आगे बढ़ाया, जो प्रमुख वैश्विक बाजारों में भारत की आर्थिक साझेदारियों के महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित करता है। इन नई समझौतों के साथ, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख व्यापार समझौतों को कार्यान्वित किया है जो निर्यात वृद्धि और निवेश प्रवाह का समर्थन जारी रखते हैं।

### भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)

भारत ने दिसंबर 2025 में ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जो खाड़ी क्षेत्र के साथ आर्थिक संलग्नता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। समझौता भारत के श्रम-गहन क्षेत्रों- जैसे कृषि, वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स- के लिए नई निर्यात संभावनाएं खोलता है, जो रोजगार सृजन का समर्थन करता है तथा कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाता है।

**वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच:** सीईपीए भारतीय वस्तुओं के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्रदान करता है और, ओमान के 98.08% शुल्क रेखाओं पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है, जो भारत के निर्यात मूल्य के 99.38% के लिए जिम्मेदार हैं।

#### पारंपरिक चिकित्सा और आयुष के लिए वैश्विक मान्यता और बाजार पहुंच:

यह समझौता पहली बार किसी देश द्वारा सभी आपूर्ति मोड्स पर पारंपरिक चिकित्सा पर प्रतिबद्धताएं बढ़ाने का प्रतीक है, जो भारत के वेलनेस और आयुष क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं पैदा करता है, एक संरचित संस्थागत ढांचे के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का समर्थन करता है।

**सेवाओं और गतिशीलता प्रतिबद्धताएं:** ओमान ने पहली बार प्रमुख मोड 4 श्रेणियों में अपनी प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं, जो इंटर-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी, संविदात्मक सेवा प्रदाताओं, व्यावसायिक आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए अस्थायी प्रवेश और ठहराव के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले प्रावधान प्रदान करती हैं।

### भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

2025 में संपन्न भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत के सबसे तेजी से प्रगति कर रहे व्यापार समझौतों में से एक के रूप में खड़ा है, जो दो देशों के बीच आर्थिक संलग्नता को काफी मजबूत करता है। यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच और शुल्क प्राथमिकताओं को बढ़ाता है तथा साझेदारी को व्यापक ओशिनिया और प्रशांत द्वीप बाजारों के गेटवे के रूप में स्थापित करता है।

**किसानों और एमएसएमई के लिए बढ़ी बाजार पहुंच:** समझौते के तहत, न्यूजीलैंड ने 100% शुल्क रेखा समाप्त कर दिए हैं और समझौते लागू होने के दिन से सभी भारतीय निर्यात के लिए शुल्क शून्य कर दिए हैं।

- कृषि उत्पादकता साझेदारी के माध्यम से यह समझौता किसानों का समर्थन करने, उत्पादकता सुधारने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।

- इसके अतिरिक्त यह समझौता वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान तथा प्रोसेस्ड फूड जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा देता है।

**निवेश और कार्यबल संभावनाएं:** यह एफटीए 15 वर्षों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित है, जो दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है।

- यह भारत को कुशल कार्यबल का प्रमुख प्रदाता बनने के अवसर खोलता है, साथ ही आयुष और योग प्रशिक्षकों, भारतीय शेफ और संगीत शिक्षक सेवाओं में भविष्य के सहयोग के साथ, आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अवसर खोलता है।

इस सहयोग से पेशेवरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है।

### **भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)**

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2025 में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी में एक प्रमुख मील का पत्थर है। द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, दोनों पक्ष 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं। समझौते से भारत के कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात में अगले तीन वर्षों में 50% से अधिक वृद्धि की उम्मीद है।

वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच: सीईटीए भारत के यूके निर्यात के लगभग 99% पर अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करता है तथा वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो घटकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है।

### **यूके में भारतीय पेशेवरों के लिए सुगम प्रवेश की गतिशीलता**

यूके द्वारा पहली बार किये गए इस समझौते में आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों के लिए प्रवेश की गतिशीलता को आसान बनाता है, जो संविदात्मक सेवा प्रदाताओं, व्यावसायिक आगंतुकों, इंटर-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए सुगम प्रवेश सक्षम बनाता है।

**सामाजिक सुरक्षा लाभ:** समझौते के तहत एक अन्य प्रमुख उपलब्धि डबल योगदान कन्वेंशन है, जो द्वैत सामाजिक सुरक्षा योगदानों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे यूके में काम करने वाली भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत होगी।

इस समझौते के व्यापक प्रावधान बाजार पहुंच का विस्तार करने, निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने तथा भारत और यूके के बीच आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग को गहरा करने की उम्मीद करते हैं।



### भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए), जो 2024 में हस्ताक्षरित और अक्टूबर 2025 से प्रभावी है, भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला एफटीए है जिसमें निवेश प्रवाह और रोजगार सृजन से सीधे जुड़ी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

**वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच:** ईएफटीए देशों ने 92.2% शुल्क रेखा पर बाजार पहुंच प्रदान की है, जो भारत के 99.6% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें गैर-कृषि उत्पादों का 100% कवरेज सहित प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों (पीएपी) पर शुल्क रियायतें शामिल हैं।

**सेवा सहयोग:** समझौता आईटी, व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाएं तथा ऑडियो-विजुअल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए नई संभावनाएं खोलकर सेवाओं में सहयोग को मजबूत करेगा।

**निवेश और रोजगार प्रतिबद्धताएं:** समझौते की खास विशेषता भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अगले 10 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की प्रतिबद्धता है तथा अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर।

- इन निवेशों से भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह प्रतिबद्धता विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को महत्वपूर्ण रूप से बाहर रखती है, जो प्रवाह को दीर्घकालिक उत्पादक निवेशों की ओर निर्देशित करती है जो घरेलू क्षमता का निर्माण करते हैं।

विस्तारित बाजार पहुंच, मजबूत सेवाओं सहयोग तथा निवेश-नेतृत्व वाले विकास प्रतिबद्धताओं के माध्यम से, टीईपीए से भारत के ईएफटीए अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को काफी गहरा करने तथा निर्यातकों, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए नई संभावनाएं पैदा करने की उम्मीद है।

### **भारत-यूई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (भारत-यूई सीईपीए)**

2022 में हस्ताक्षरित भारत-यूई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में भारत का ऐसा पहला समझौता था, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक सहयोग की नई युग की शुरुआत करता है। समझौता पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की क्षमता रखता है तथा दोनों अर्थव्यवस्थाओं में पर्याप्त रोजगार और व्यावसायिक संभावनाएं पैदा करता है।

**मजबूत व्यापार वृद्धि और निर्यात लाभ:** समझौते का प्रभाव व्यापार परिणामों में दिखाई दे रहा है, द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए यूई को भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में स्थापित करते हुए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया।

- भारत के निर्यात के संदर्भ में, गैर-तेल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 27.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा जो सीईपीए प्रवेश के बाद औसत 25.6% वृद्धि दर्ज की।
- क्षेत्रीय स्तर पर, विद्युत मशीनरी और उपकरण, बॉयलर, जनरेटर और रिएक्टर जैसे हल्के एवं मध्यम उच्च प्रौद्योगिकी सामान तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन प्रमुख उपलब्धकर्ता रहे हैं।
- स्मार्टफोन एक प्रमुख निर्यात वस्तु के रूप में उभरा है जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यूई को 2.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद प्रेषित किये गए।

सीईपीए ने एमएसएमई को सशक्त बनाकर, रोजगार सृजन का समर्थन करके तथा नई व्यावसायिक संभावनाएं पैदा करके दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और कूटनीति को मजबूत किया है। दोनों राष्ट्र अपनी आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने तथा समझौते का लाभ उठाकर अधिक व्यापार और निवेश क्षमता को खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

### **भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (इंड-ऑस ईसीटीए)**

अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए) पिछले एक दशक में किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता था, जो उन्नत बाजारों के साथ साझेदारियों को विस्तारित करने में एक नई गति का संकेत देता है। इसमें जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता व्यवस्था का हस्ताक्षर एक प्रमुख मील का पत्थर था, जो निर्यातकों के लिए व्यापार को सुगम बनाता है तथा अनुपालन लागत को कम करता है।

**बाजार पहुंच और शुल्क उदारीकरण:** दोनों देशों के बीच समझौता लगभग सभी शुल्क रेखाओं को कवर करता है और भारत को ऑस्ट्रेलियाई शुल्क रेखाओं के 100% प्राथमिकता प्राप्त बाजार पर पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी शुल्क रेखाओं के 70% से अधिक पर प्राथमिकता

प्राप्त पहुंच प्रदान की है जिसमें कोयला और खनिज अयस्क जैसे कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान के आयात विशेष रूप से शामिल हैं।

**सेवा बाजार तक पहुंच:** सेवाओं के व्यापार में, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 135 उपक्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं तथा करीब 120 उपक्षेत्रों में उसने सबसे अधिक अनुमोदित राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्रदान किया है। इसमें भारत के प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी, आईटी-सक्षम सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऑडियो-विजुअल सेवायें शामिल हैं।

**भारतीय निर्यात के लिए विस्तारित लाभ:** जनवरी 2026 से, ऑस्ट्रेलियाई शुल्क रेखाओं के 100% तक भारतीय निर्यात शून्य-शुल्क पहुंच विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए नई संभावनाएं खोलते हुए इसका लाभ ले रहे हैं।

**व्यापार और निर्यात प्रदर्शन लाभ:** पिछले तीन वर्षों में इस समझौते ने निरंतर निर्यात वृद्धि, बेहतर बाजार पहुंच तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन प्रदान किया है, जो भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाता है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8% बढ़ा जिसमें विनिर्माण, रसायन, वस्त्र, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद तथा रत्न और आभूषण जैसे शामिल थे। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद मिली।
- कृषि निर्यात में भी व्यापक वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मसाले तथा विशेष रूप से कॉफी निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज हुई।
- रत्न और आभूषण निर्यात ने अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान 16% की वृद्धि जारी रखी।

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की वार्ताओं के आगे बढ़ने के साथ यह ईसीटीए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संलग्नता को काफी आधार प्रदान कर विश्वसनीय व्यापार और साझा समृद्धि को मजबूत करता है।

## **मॉरीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता**

भारत और मॉरीशस ने 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए, जो अफ्रीका महाद्वीप में भारत का पहला व्यापार समझौता है। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करता है।

यह समझौता 300 से अधिक भारतीय निर्यात उत्पादों के लिए प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच प्रदान करता है, जिसमें भोजन और पेय, कृषि उत्पाद, वस्त्र और वस्त्र लेख, आधार धातुएं और लेख, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक और रसायन तथा लकड़ी उत्पाद शामिल हैं। यह समझौता सेवाओं के व्यापार में भी महत्वपूर्ण संभावनाएं खोलता है। यह 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के 115 उपक्षेत्रों तक भारतीय सेवा प्रदाताओं को पहुंच प्रदान करता है। इसमें पेशेवर सेवाएं, कंप्यूटर संबंधित सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, दूरसंचार, निर्माण, शिक्षा, वित्तीय, पर्यटन एवं यात्रा संबंधित, योग, ऑडियो-विजुअल सेवाएं,

परिवहन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को काफी गहराई मिली है।

### **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने वाले घरेलू सक्षमकर्ता**

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करता है जो निर्यात-उन्मुख व्यवसायों को बढ़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्पष्ट नियामक प्रणाली और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करता है।

**निर्यातकों के लिए डिजिटल और नीतिगत समर्थन:** निर्यातकों को एफटीए और प्राथमिकता प्राप्त व्यापार समझौतों के लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर स्थित टैरिफ एक्सप्लोरर सेवा निर्यातकों के लिए उपलब्ध शुल्क रियायतों की जानकारी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) निर्यात प्रयासों को बढ़ाने के लिए व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा स्थापित करता है।

**वित्तीय और ऋण समर्थन उपाय:** सरकार ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना लागू की है जो अनिश्चितता की अवधि में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे तरलता सुनिश्चित होती है, व्यावसायिक निरंतरता को बढ़ावा मिलता है तथा नई बाजारों में विस्तार के अवसर पैदा होते हैं।

**आरबीआई के विभिन्न उपाय निर्यातकों का समर्थन करते हैं:** ईपीएम की प्रभावशीलता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित पूरक कदमों से और मजबूती मिलती है।

- इन उपायों में पात्र उधारकर्ताओं के लिए किस्त भुगतान पर मोरेटोरियम या स्थगन की सुविधा , 31 मार्च 2026 तक वितरित प्री- और पोस्ट-शिपमेंट ऋण के लिए निर्यात ऋण अवधि को 450 दिनों तक बढ़ाना तथा नियामक संस्थाओं को मार्जिन कम करके या कार्यशील पूंजी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करके तरलता बनाए रखने की लचीलापन सुविधाएं शामिल हैं।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 के तहत, निर्यात आय के प्रत्याहार और प्रत्यावर्तन की अवधि को नौ महीनों से 15 महीनों तक बढ़ा दिया गया है, तथा अग्रिम भुगतान के खिलाफ शिपमेंट अवधि को एक वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

**संघ बजट 2026-27 के तहत समर्थन:** संघ बजट 2026-27 में भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का खाका तैयार किया गया है।

- इनमें कूरियर निर्यात पर प्रति पैकेट कंसाइनमेंट 10 लाख रुपये की मौजूदा मूल्य सीमा को हटाना शामिल है जो निर्यात संचालन को सुगम बनाता है।

- चमड़े या सिंथेटिक जूते तथा निर्यात के लिए समुद्री भोजन प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले निर्दिष्ट इनपुट्स पर शुल्क-मुक्त आयात को भी बढ़ाया गया है।
- चमड़े या वस्त्र वस्त्रों तथा चमड़े और सिंथेटिक जूतों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पादों के निर्यात की समय सीमा को छह महीनों से एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जो अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाला निर्यात माल अब कारखाने परिसर से सीधे जहाज तक के लिए क्लियरेंस की अनुमति प्राप्त करेगा, जो लॉजिस्टिक्स समय और लागत को कम करने में मदद करेगा।

साथ में, ये नियामक और राजकोषीय उपाय निर्यातकों को एकीकृत समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं, तरलता बनाए रखते हैं, ऋण अनुशासन की रक्षा करते हैं तथा ये ईपीएम के उन्नत निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के लक्ष्य के साथ संयोजित होते हैं।

## भारत का विस्तारित वार्ता एजेंडा

समाप्त हुए इन सभी समझौतों के अलावा वर्तमान में दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ एफटीए और व्यापक आर्थिक साझेदारियों के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए सक्रिय वार्ताओं में लगी हुई हैं:

- फरवरी 2026 में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पारस्परिक और आपसी लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिम समझौते के लिए ढांचागत समझ प्राप्त की। यह ढांचा व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) वार्ताओं के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को पुनःस्थापित करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी तथा वे अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करेंगी।
- भारत और इज़राइल ने नवंबर 2025 में मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के लिए शर्तों के संदर्भ पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद, फरवरी 2026 में एफटीए वार्ताओं का पहला दौर समाप्त हुआ, जिसमें पहचान किये गए विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित किया गया है ताकि व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जा सके। प्रस्तावित समझौते की संरचना में फिनटेक, एग्री-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्यूटिंग, मशीन लर्निंग, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की उम्मीद है।

- आसियान-भारत वस्तुओं व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) के लिए भी चर्चाएं चल रही हैं, जो सदस्य देशों की पूर्ण आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने तथा क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की क्षमता रखता है।
- भारत और मैक्सिको की बैठकें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही हैं, जिसमें व्यापार विस्तार, निवेश, आर्थिक सहयोग विस्तार, व्यावसायिक सहयोगों को बढ़ावा तथा विविध क्षेत्रों में संभावनाओं की खोज पर चर्चा की गई।
- कनाडा के साथ भी भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा जारी रखे हुए है, जो सहमति प्राप्त शर्तों के संदर्भों द्वारा समर्थित है। कनाडा के साथ यह प्रस्तावित समझौता शुल्क कटौतियों तथा सेवाओं और निवेश के लिए स्पष्ट ढांचों के माध्यम से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के लिए शर्तों के संदर्भ (टीओआर) फरवरी 2026 में हस्ताक्षरित हुए, उसके बाद संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके व्यापक और आपसी लाभकारी समझौते के लिए वार्ताओं को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। एफटीए वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाएगा, निवेश आकर्षित करेगा तथा क्षेत्र के लिए रोजगार संभावनाओं का विस्तार करेगा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा गहरे आर्थिक संबंधों को ऊंचा उठाएगा।

समाप्त समझौतों और चल रही वार्ताओं का विस्तारित नेटवर्क भारत की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संलग्नता में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। साथ में, ये साझेदारियां भारत को समकालीन व्यापार वास्तुकलाओं को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए स्थित करती हैं, जो आपसी विकास, लचीलापन और रणनीतिक विश्वास पर आधारित हैं।

## निष्कर्ष

2026 में भारत की व्यापार साझेदारियां वैश्विक आर्थिक एकीकरण की ओर निर्णायक बदलाव का संकेत देती हैं, जो आधुनिक और परिणाम-उन्मुख व्यापार समझौतों के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं। यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक समझौता, अन्य मजबूत साझेदारियों के साथ, बाजार पहुंच का विस्तार कर रहा है, निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, निवेश आकर्षित कर रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में नई रोजगार संभावनाएं पैदा कर रहा है। निर्यातक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने वाली घरेलू नीतिगत, वित्तीय तथा नियामक उपायों द्वारा पूरक, भारत का व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र अधिक लचीला और वैश्विक रूप से एकीकृत हो रहा है।

साथ में, ये प्रयास भारत को वैश्विक व्यापार में विश्वसनीय और गतिशील साझेदार के रूप में स्थापित करते हैं, जो आने वाले वर्षों में सतत विकास और साझा समृद्धि को गति प्रदान करेगा।

**संदर्भ:**

**वित्त मंत्रालय:**

<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

[https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget\\_speech.pdf](https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf)

<https://www.indiabudget.gov.in/doc/bh1.pdf>

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय:**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224783&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219146&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157252&ModuleId=3&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219065&reg=3&lang=2>

<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/dec/doc20251218737701.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2207583&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173138&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1799435&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2195127&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2104450&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1812730&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1708794&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223875&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2232327&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2233199&reg=3&lang=1>

**संसद प्रतिक्रियाएं:**

[https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS45\\_3nBiTI.pdf?source=pqals](https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS45_3nBiTI.pdf?source=pqals)

अन्य:

<https://x.com/PiyushGoyal/status/2005526081479356424>

पीआईबी रिसर्च टीम

पीके/केसी/एमएम